न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 03/11 दायरा दिनांक 13.01.2011

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

लक्ष्मीकान्त पुत्र मोहन प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां

– प्रार्थी

बनाम

1. आलमचन्द पुत्र घासीलाल जाति चमार निवासी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां
2. दोजोबाई पत्नि आमलचन्द जाति चमार निवासी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां राज.
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां – अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. **श्री हेमराज नामदेव, अभिभाषक प्रार्थी।**
2. **श्री प्रकाशचन्द नामदेव, अभिभाषक अप्रार्थी।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970

निर्णय **दिनांक 24.03.2022**

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू.–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

यह कि आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 5 बीघा ग्राम खुशालपुरा तहसील शाहबाद का आवंटन दिनांक 17.05.2006 को आवंटन सलाहकार समिति वमुकाम शुभघरा द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को सर्वथा गलत तौर पर विधि एवं नियम विरूद्ध किया गया है, जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 10 बीघा ग्राम खुशालपुरा दिनांक 23.06.1989 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रार्थी के हक में आवंटन की गई थी, जो प्रार्थी की पूर्व आवंटनशुदा आराजी खसरा नम्बर 682 रकबा 10 बीघा ग्राम खुशालपुरा से इस्तीफा लिया जाकर उसके एवज में आवंटन की गई थी और आवंटन पश्चात् विधिवत आवंटनशुदा भूमि खसरा नम्बर 604 रकबा 10 बीघा ग्राम खुशालपुरा पर दखल व कब्जा संभलाया जाकर नामान्तकरण नम्बर 208 से गैरखातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, तभी से उक्त आवंटनशुदा भूमि पर आवंटी प्रार्थी निरन्तर काबिज होकर बिना किसी हस्तक्षेप के काश्त करता चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:52 IST
Reason: SelfAttested

वक्त आवंटन उक्त आवंटनशुदा आराजी सहित खसरा नम्बर 604 रकबा 10 बीघा ग्राम खुशालुपरा विवादित थी, जिसका विवाद माननीय राजस्व न्यायालयों में जैरकार था और उक्त आवंटनशुदा भूमि न्यायालयों के निर्णय आधीन होने से आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी, इसके बावजूद भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को सर्वथा गलत तौर पर अवैधानिक रूप से दिनांक 17.05.2006 को आवंटन कर दी है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त आवंटनशुदा आराजी सहित खसरा नम्बर 604 रकबा 10 बीघा ग्राम खुशालपुरा दिनांक 23.06.1989 को प्रार्थी को विधिवत आवंटन कर दखल व कब्जा दिया जाकर नामान्तरकरण 208 से गैरखातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये गये तभी से उक्त भूमि निरन्तर आवंटी प्रार्थी काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है, जबकि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का उक्त भूमि पर आज तक कभी भी एक क्षण मात्र भी न तो कब्जा रहा है और न ही काश्त की है। इस प्रकार उक्त आराजी पर आवंटन दिनांक 23.06.1989 से निरन्तर आज तक प्रार्थी का कब्जा काश्त होते हुऐ भी भूमि की मौका स्थिति तथा रिकार्ड का अवलोकन किये बिना उक्त भूमि नियम विरूद्ध अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को आवंटन कर दी गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने आज तक आवंटन नियम व शर्तो की कोई पालना नहीं की है इस कारण भी प्रश्नगत आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी भूमिहीन कृषक है तथा आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 10 बीघा ग्राम खुशालपुरा प्रार्थी तथा परिवार उदरपूर्ति का एक मात्र सहारा है, जबकि अप्रार्थीगण के खाते में अन्य बहुत सी कृषि भूमि स्थिति है, इस कारण भी प्रश्नगत आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

वक्त प्रश्नगत आवंटन उक्त आवंटनशुदा भूमि सहित आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 10 बीघा ग्राम खुशालपुरा पर अप्रार्थीगण का दिनांक 23.06.1989 से निरन्तर आज तक कब्जा काश्त होने से भूमि अनओक्यूपाइड लेण्ड थी और आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी इस तथ्य को छुपाते हुऐ अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने आवंटन सलाहकार समिति को धोखा देकर कपट पूर्वक प्रश्नगत आवंटन कराया है, इस कारण भी प्रश्नगत आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में बताया कि ग्राम खुशालपुरा तहसील शाहबाद की आराजी ख.नं. 604 रकबा 5.00 बीघा आवंटन कमेटी शुभघरा द्वारा दिनांक 17.05.2006 को अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के हक में सर्वथा गलत तौर पर नियम विरूद्ध आवंटन की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम खुशालपुरा तहसील शाहबाद की आराजी ख.नं. 604 के कुल रकबा 37.10 बीघा सिवायचक में से 10.00 बीघा भूमि दिनांक 23.06.1989 को प्रार्थी के हक में विधिवत आवंटन की जाकर दखल व कब्जा संभलाया गया है, तत्पश्चात आवंटन शर्तो की पालना के अनुक्रम में नामान्तरकरण नं. 208 से विधिवत प्रार्थी [illegible] गैरखातेदारी दर्ज की गई है, तभी से निरन्तर आजतक उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर [illegible] प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से उक्त भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध ही नहीं थी, इस [illegible] है। यहां यह भी उल्लेखनीय है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:52 IST
Reason: SelfAttested

कि प्रार्थी को पूर्व में ख.नं. 682 की 10.00 बीघा भूमि आवंटन की गई थी, जिससे इस्तीफा लिया जाकर उसी के एवज में प्रार्थी को कब्जा काश्त के आधार पर ख.नं. 604 की 10.00 बीघा भूमि आवंटन की गई है। प्रार्थी को ख.नं. 604 की 10.00 बीघा भूमि कब्जा काश्त के आधार पर विधिवत आवंटन की जाकर दखल कब्जा पश्चात् आवंटन शर्तो की पालना के अनुक्रम में गैर खातेदारी दर्ज की गई, तब से निरन्तर आजतक उक्त भूमि पर प्रार्थी ही काबिज रहा है, जो आज भी है। प्रार्थी को आज तक विवादित भूमि से बेदखल नहीं किया गया है और अप्रार्थीगण को आजतक भौतिक रूप से दखल नहीं दिया गया है। अर्थात् अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर आज तक एक क्षण भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, आवंटन शर्तो की पालना के अभाव में अप्रार्थीगण का आवंटन निरस्तनीय है। वक्त आवंटन उक्त आवंटनशुदा भूमि को लेकर विवाद माननीय अपर राजस्व न्यायालयों में जैरकार था और आवंटनशुदा भूमि न्यायालयों के निर्णयाधीन होने से आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होकर विवादित थी, इसके बाबजूद भी आवंटन कमेटी द्वारा रिकॉर्ड तथा मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना प्रश्नगत आवंटन किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि प्रार्थी के हक में कब्जा काश्त के आधार पर दिनांक 23.06.1989 को विधिवत आवंटन की जाकर दखल व कब्जा संभलाया गया है, आवंटन शर्तो की पालना के अनुक्रम में गैरखातेदारी दर्ज की गई है भूमि पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का कब्जा काश्त दर्ज है, रिकार्डली प्रार्थी 30 वर्षो से निरन्तर काबिज काश्त है और माननीय न्यायालय से नियमन हेतु सिफारिस का हकदार है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में कहा कि ग्राम खुशालपुरा तहसील शाहबाद में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को कृषि भूमि खसरा सं. 604 की 5.00 बीघा आराजी नियमानुसार भू–आवंटन सलाहकार समिति शुभघरा द्वारा दिनांक 17.05.2006 को अलोट हुई है। अप्रार्थीगण का इस आराजी पर अलोटमेन्ट के पूर्व से ही कब्जा काश्त था। अप्रार्थी भूमिहीन एस.सी. जाति का गरीब व्यक्ति है। जिसका वदस्तूर अलोटमेन्ट के पूर्व से व अलोटमेन्ट के समय से इस आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में यह आराजी अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है।

प्रार्थी का इस जमीन पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी ने इस आराजी को कड़ी व कठोर मेहनत कर काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थी भूमिहीन व्यक्ति नहीं है, और वह धनाढ्य व्यक्ति है। जो जबरन ताकत के बूते पर अप्रार्थीगण की जमीन को छीनना चाहता है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 604 की कुल रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा बतलाया है जिसमें से 5.00 बीघा सुरेश कुमार बसोड़ को व 5.00 बीघा सीताराम सहरिया को, 5.00 बीघा चिरोंजीलाल सहरिया को, 5.00 बीघा रामजीलाल सहरिया को व 5.00 बीघा मुझ अप्रार्थीगण को अलोट होकर कुल 25.00 बीघा आराजी अलोटीज के खाते दर्ज है। शेष आराजी सिवायचक, बंजड है। प्रार्थी ने जो अपील की है वह मनगढ़त, मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी अपने खाते की उक्त आराजी पर नियमानुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त होने से खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:52 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधी विरूद्ध साबित होता हो। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.05.2006 को अप्रार्थीगण आलमचन्द पुत्र घासीलाल , दोजोबाई पत्नि आलमचन्द जाति चमार निवासी शाहबाद को ग्राम खुशालपुरा की आराजी खसरा नं. 604 रकबा 5 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:52 IST
Reason: SelfAttested